न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —34 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 106

1. सुरेन्द्र गौतम पुत्र स्वर्गीय श्री शंभू दयाल गौतम
2. श्रीमती रश्मि गौतम पत्नी श्री सुरेन्द्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासीगण 617, गणेश नगर कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

गीता बाई पत्नी स्व0 श्री शंभू दयाल निवासी मकान नं. 617, गणेश नगर कोटा राजस्थान हाल निवासी फ्लैट नम्बर ए—1322 अर्फोडेबल योजना प्रेम नगर कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 29.04.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजि0 कोटा प्रकरण संख्या 56 / 2022 उनवान गीता बाई बनाम सुरेन्द्र गोत्तम व अन्य

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र राठौड़ अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जमील अहमद, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

निर्णय

दिनांक— 06.08.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल कोर्ट न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम प्रकरण संख्या 56 / 2022 निर्णय दिनांक 24.04.2024 से निर्णाय पारित किया है कि— "प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को मकान नंबर 617 गणेश नगर कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीया के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार ना करें एवं प्रार्थीया को मकान नं0 617 गणेश नगर कोटा में एक सुव्यवस्थित कमरा निवास हेतु उपलब्ध करायें एवं प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीया का ईलाज करवाये एवं सेवा सुश्रूशा करें । प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती है जिस कारण आय का कोई साधन नहीं होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अप्रार्थी कम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को 5000 / — मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो ।"

2. उक्त आदेश दिनांक 29.04.2024 की अप्रसन्नता में अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत की है कि अपीलान्टगण अपने पुत्र निष्कर्ष गौतम एवं पुत्री कनिष्का गौतम के साथ परिवार सहित मकान नं0 617 गणेश नगर कोटा में निवास कर रहे है । अपीलान्ट कम 1 धर्म कर्म से पुजारी है अपीलांट कम 2 गृहणी है, अपीलांट की माह की कुल आय 7100 / — है । उक्त आय से परिवार का भरण पोषण चलता है तथा जरूरत के वक्त मित्रगणों से जो धन उधार लिया है उसे भी चुकता है । तथा नल बिजली के बिल बच्चों की पढाई की

जिला कलेक्टर
कोटा

फीश का भुगतान करता है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भरण पोषण संबंधित आदेश नियम 14 राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो स्वतः कानूनी रूप से त्रुटियुक्त होने के कारण काबिल निरस्तनीय है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री दशरथ सिंह का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी, उभयपक्ष द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 अपने पुत्र निष्कर्ष गौत्तम एवं पुत्री कनिष्का गौतम के साथ अर्थात परिवार सहित मकान नं. 617 गणेश नगर कोटा में निवास कर रहे है । अपीलान्ट क्रम 1 धर्म कर्म से पुजारी है जो कि मन्दिर में पूजा पाठ का काम करता है । अपीलान्ट क्रमांक 2 गृहणी हे, अपीलान्ट क्रम 1 वर्तमान में श्री भीमेश्वर महादेव मन्दिर समिति गणेश नगर कोटा में पूजा पाठ का कार्य करता है जहां उसे 4100/– मासिक राशि मिलती है और अन्य मांगलिक कार्यो से 3000/– अर्जित कर लेता है इस प्रकार से अपीलान्ट क्रम 1 एक माह में 7100/– की राशि आय के रूप में अर्जित करता है । अपीलान्ट क्रम 2 गृहणी है इस प्रकार सम्पूर्ण परिवार की मासिक आय 7100/– रूपये है । अपीलान्ट क्रम 1 द्वारा अपने सम्पूर्ण परिवार अपीलान्ट क्रम 2 पत्नी रश्मि गौतम, पुत्र निष्कर्ष गौतम, पुत्री कनिष्का गौतम का उक्त मासिक आय से भरण पोषण चलता है और जो जरूरत के वक्त मित्रगणों से जो धन उधार लिया है उसे भी चुकाता है । इसके अतिरिक्त नल बिजली के बिल भी चुकाता है तथा बच्चचों की स्कूल, कोचिंग की मासिक फीस का भुगतान भी करता है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भरण पोषण संबंधित आदेश /निर्देश करते समय माननीय न्यायालय द्वारा नियम संख्या 14 राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । जो स्वतः कानूनी रूप से त्रुटियुक्त होने के कारण काबिल निरस्तनीय है । वकील अपीलांट द्वारा आगे यह भी कथन किया है कि नियम 14 राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 का मूल पाठ इस प्रकार है–''अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जिसका संदाय करने के लिये अधिकरण विरोधी पक्षकार को आदेश कर सकेगा, अधिकतम दस हजार रूपये प्रतिमाह के अध्यधीन रहते हुये, ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि वह आवेदक या आवेदकों को विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्यों में गिनते हुये, विरोधी परिवार के सदस्यों की संख्यां से विभाजित समस्त स्त्रोंतो से उसकी मासिक आय से अधिक न हो ।'' इसके बावजूद मासिक आय का 80 प्रतिशत से अधिक की राशि का भरण पोषण के रूप में संदाय करने का आदेश मनगढंत व अविधिक है । रेस्पोडेन्ट गीता बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन कोष राजस्थान सरकार से विधवा पेंशन स्वरूप 1000/– रूपये मासिक प्राप्त होता है । रेस्पोडेन्ट गीता बाई दिनांक 01.4.2023 से 31.3.2024 तक 12000/– रूपये वार्षिक पेंशन के रूप में दिनांक 27.5.2024 को प्राप्त कर चुकी है तथा दिनांक 1.4.2023 से रेस्पोडेन्ट गीता बाई ने मासिक विधवा पेंशन के रूप में 1150/– की राशि मिलना प्रारम्भ हो गयी जो लगभग वार्षिक रूप में 13800/– की राशि होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.4.2024 खारिज फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट गीताबाई पत्नी स्व0 शम्भूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी 617 गणेश नगर कोटा हाल निवास फ्लेट नम्बर ए–1322 अर्फोडेबल योजना प्रेमनगर कोटा राजस्थान पर निवासी करती है व एक बुजुर्ग महिला और सीनियर सिटीजन है । अपीलान्ट क्रम 1 व 2 रिश्ते में

जिला कलेक्टर
कोटा

रेस्पोडेन्ट के पुत्र व पुत्रवधु है जो रेस्पोडेन्ट के मकान नम्बर 617 गणेश नगर कोटा में रह रहे है । अपीलान्ट्स रेस्पोडेन्ट से द्वेष भावना रखते है और रेस्पोडेन्ट की संपत्ति को हडप लिया है । रेस्पोडेन्ट के पति श्री शम्भूदयाल गौतम का दिनांक 13.11.2011 को देहांत हो गया था । रेस्पोडेन्ट के पति के देहांत के बाद से ही अपीलान्टस के व्यवहार में बदलाव आ गया ओर अपीलान्ट क्रम 2 रेस्पोडेन्ट से लडाई झगडा करना व मारपीट करना शुरू कर दिया जिसका अपीलान्ट क्रम 1 ने भी साथ दिया । रेस्पोडेन्ट के पति के देहांत के कुछ दिन बाद अपीलान्ट क्रम 1 रेस्पोडेन्ट को बहला फुसलाकरमकान रेस्पोडेन्ट के नाम करवाने की बोलकर रेस्पोडेन्ट और उसकी बेटी को ले गया और धोखाधडी कर रेस्पोडेन्ट व उसकी पुत्री से रेस्पोडेन्ट के पति के मकान का हक त्याग माह मार्च 2014 में करवा लिया जिसे रेस्पोडेन्ट ने व उसकी पुत्री ने पढा भी नहीं ओर हस्ताक्षर करवा लिये । अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण नहीं करने समय पर भोजन आदि की व्यवस्था नहीं करने तथा आये दिन लड़ाई झगड़ा एवं द्वेष भावना रखने की वजह से रेस्पोडेन्ट गत पांच साल से अपनी बेटी के घर रह रही हूँ । आज दिन तक अपीलान्टगण द्वारा फोन करके भी हाल नहीं पूछा है । अपीलान्ट के उक्त आपराधिक कृत्य से रेस्पोडेन्ट को शारीरिक और मानसिक आर्थिक स्थिति से गुजरना पड रहा है । अपीलान्ट्स ने पुत्र व पुत्रवधु व भाई के रिश्ते को खत्म कर दिया है । अपीलान्ट्स द्वारा लगातार रेस्पोडेन्ट को परेशान किया गया और रेस्पोडेन्ट के पति के स्वामित्व का मकान धोखाधडी व बेईमानी पूर्वक हडप कर लिया गया जिसका अपीलान्टस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । सन 2015 से लगातार अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा कर जान से मारने की धमकी कई बार दी व रेस्पोडेन्ट के द्वारा पारिवारिक मामला व इकलोता पुत्र व पुत्रवधु होने से कि अपीलान्टस को ईश्वर सद्बुद्वि दे देवें ओर इस कारण रेस्पोडेन्ट इतने वर्षो तक अपीलान्टस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को सहन करती रही । रेस्पोडेन्ट, अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ आपराधिक कृत्य किये है जिनको भी रेस्पोडेन्ट एक मां होने के नाते सब कुछ सहन करती आ रही है । माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा 29.4.2024 को निर्णय दिया गया जो माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट को मकान नम्बर 617 गणेश नगर में एक कमरा दिये जाने का व 5000/– का उचित आदेश पारित किया गया है । अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान जिससे रेस्पोडेन्ट को न्याय प्राप्त हो सकें ।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है । प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को उसके पति के स्वामित्व का मकान नम्बर 617 गणेश नगर कोटा को पुनः दिलवाये जाने व प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को जीवन निर्वाह हेतु 20,000/– भरण पोषण दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर अपना निर्णय दिनांक 29.04.2024 को पारित कर उक्त मकान नम्बर 617 गणेश नगर कोटा में रहने के लिए एक सुव्यवस्थित कमरा शांतिपूर्वक रहने के लिए दिया जाने एवं इलाज करवाये एवं सेवा सुश्रूशा करने के एवं बतौर भरण पोषण 5000/– की राशि मासिक जरिये बैंक खाता दिया जाने का आदेश प्रदान किया गया ।

7. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया है कि अपीलांट के सम्पूर्ण परिवार की कुल मासिक आय 7100/– है तथा अपीलान्ट के परिवार में उनके अलावा पत्नि रश्मि गौतम, पुत्र निष्कर्ष गौतम, पुत्री कनिष्का गौत्तम है, जिसमें पूरे परिवार का खर्च चलाना बमुश्किल है तथा वकील अपीलान्ट द्वारा नियम 14 राजसथान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के विपरीत बताया है । अपीलान्ट की

जिला कलेक्टर
कोटा

आय का 80 प्रतिशत से अधिक की राशि का भरण पोषण के रूप में संदाय करने का आदेश अविधिक बताया है, किन्तु अपीलांट द्वारा उनकी आय के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत नहीं दिये है कि उनकी मासिक आय मात्र 7100/– ही है । अपीलान्ट का यह तथ्य मान्य नहीं है । इसके अलावा वकील अपीलान्ट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट को मासिक विधवा पेंशन 1150/– मिलना बताया है, किन्तु केवल 13800/– प्रतिमाह से एक व्यक्ति का भरण पोषण एवं दवा आदि का खर्च चलना मुश्किल है, इसके अलावा रेस्पोडेन्ट वृद्व होने से कोई काम नहीं कर सकती है तथा आय का कोई स्रोत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बतोर भरण पोषण राशि तय की गई है वह आज के समय अनुसार उचित है, तथा रेस्पोडेन्ट को रहने के लिए कमरा दिया जाने का आदेश किया है वह भी उचित है । हमारा मानना है कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट का एकमात्र पुत्र है, तथा अपनी माता का भरण पोषण करने एवं सेवा शुश्रुसा करने का दायित्व पुत्र एवं पुत्रवधु अपीलांटगण का है, तथा इस अधिनियम की मंशा अनुसार माता पिता एवं वृद्वजन के नातेदार उनके मान सम्मान एवं हितों को अनदेखा नहीं कर सकते है, यह अधिनियम माता पिता एवं वृद्वजनों के भरण पोषण एवं उनके हितार्थ एवं उनके कल्याण के लिए बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की मंशानुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

8. अतः अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया अनुतोष स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.1.2024 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा